श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2018 को आयोजित State Ganga Committee की प्रथम बैठक की कार्यवाहीः–

स्थानः– सभाकक्ष, पुराना सचिवालय, पटना। समयः– 12:30 बजे अपराह्न।

उपस्थिति– यथा पंजी में संधारित।

1. बिहार राज्य गंगा समिति की प्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री0 चैतन्य प्रसाद, कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0–सह–समिति के संयोजक द्वारा गंगा समिति के गठन, इसकी बैठक, इसके अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व के संबंध में चर्चा की गई।

2. नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत सभी परियोजनाओं की परियोजनावार अद्यतन स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

3. मुख्य सचिव द्वारा सभी सीवरेज परियोजनाओं को शीघ्रता से, समयसीमा के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। सभी प्ररियोजनाओं को ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए ठोस अनुश्रवण व्यवस्था विकसित करने का निदेश दिया गया। पटना गंगा नदी तट विकास योजना का कार्य जून 2018 तक पूर्ण करने का निदेश बुडको को दिया गया।

(अनुपालन–बुडको)

4. शहरों में निर्माणाधीन सिवरेज योजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों आदि का Restoration कार्य भी साथ–साथ कराने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया ताकि आम लोगों को कठिनाई नहीं हो।

5. नमामि गंगे अंतर्गत वणीकरण के संबंध में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा पौधारोपण पर बताये लगभग 13 करोड़ रू0 व्यय के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शीघ्रता से इसका व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया जाए जिससे आगे के किस्त की राशि शीघ्रता से मिल सके। मुख्य वन संरक्षक को निदेश दिया गया कि वे शीघ्रता से चाईल्ड एकाउन्ट खुलवाकर एस0पी0एम0जी0 अंतर्गत Mother A/C से लिंक करवा लें जिससे राशि का प्रवाह निर्बाध रूप से हो सके।

(अनुपालन–वन एवं पर्यावरण विभाग)

6. मुख्य वन संरक्षक द्वारा बनाया गया कि वृक्षारोपण हेतु जो पूर्व में DPR भेजा गया था इससे कम राशि की योजना की स्वीकृति मिली है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्राप्त राशि को शीघ्रता से व्यय कर योजना पूर्ण करते हुए पुनः राशि की मांग हेतु अलग से अनुरोध पत्र NMCG को भेजा जाय।

7. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि एस0टी0पी0 द्वारा शोधित जल का उपयोग जैविक खेती हेतु करने के संबंध में उस जल की गुणवत्ता/उपयुक्तता संबंधी जाँच हेतु "NEERI" से अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में पुनर्शोधन संबंधी प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार किया जा सके।

(अनुपालन–बुडको)

8. एन0बी0सी0सी0 द्वारा कार्यान्वित 5 शहरों के घाट एवं शवदाह गृह परियोजनाओं के धीमी प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निदेशक, एन0बी0सी0सी0 से कार्य पूरा करने का Deadline पूछा गया। निदेशक, एन0बी0सी0सी0 द्वारा इसकी अवधि जून, 2018 तक बतायी गई।

(अनुपालन–एन0बी0सी0सी0)

9. आगे की बैठक में प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को भी विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करने की सहमति दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक–BGCMS/2017/नमामि गंगे/53- 48 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 13/2/18
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–BGCMS/2017/नमामि गंगे/53- 48 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 13/2/18
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

126

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/ श्री उमाषंकर सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रोफेसर संतोष कुमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, एन०आई०टी०, पटना/डॉ० सुनील कु. चौधरी, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर विभाग, टी.एम. वि.वि., भागलपुर/ डॉ० समीर कुमार सिन्हा, संयोजक, WTI, Regional head, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश (नदी प्रणाली)/ श्री एस०एन० जायसवाल, वैज्ञानिक (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं SPMG के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–BGCMS/2017/नमामि गंगे/53- 48 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 13/2/18

प्रतिलिपिः– सचिव–सह–महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/2018

प्रधान सचिव।